न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

<u>दाण्डिक वाद संख्या 806 सन 2015</u>

राज्य प्रति रूप लाल ।।

मु0अप0सं0: 909/2015

धारा 279,337,338,304ए भा0दं0सं0।

थाना दियोरियॉ, जिला पीलीभीत।

<u>दिनांक: 02.09.2019</u>

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित है। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र 18ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात हुआ कि प्रस्तुत मामलें की मजरूवा श्रीमती राजीना बेगम पत्नी आसिक निवासी मो0 ग्यासपुर थाना बीसलपुर को घटना के दौरान चोटे आई थी। जिसका मेडिकल जिला अस्पताल, पीलीभीत में दिनांक 21.05.2015 को हुआ था। उसके बाद मजरूवा के इलाज हेतु रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज बरेली में भर्ती कराया गया। उपरोक्त मामलें में विवेचक द्वारा रूहेलखण्ड अस्पताल जाकर पीडिता राजीना बेगम का बयान विवेचना के दौरान दर्ज किया गया है, परन्तु पीडिता को प्रस्तुत मामलें में बतौर गवाह के रूप में आरोप पत्र में नाम अंकित नही किया गया है। जिसकी गवाही प्रस्तुत मामलें में आवश्यक है। अतः पीडिता को साक्ष्य हेतु तलब करने की कृपा की जाये। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी तथा स्वयं उक्त प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकित किया गया है कि उन्हे कोई आपत्ति नही है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्वेषण प्रपत्रों व मेडिकल के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि श्रीमती राजीना बेगम पत्नी आसिक निवासी मो0 ग्यासपुर थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत प्रस्तुत मामलें में मजरूवा है। जिसे प्रस्तुत मामलें में साक्ष्य में परीक्षित कराया जाना आवश्यक है, तद्नुसार प्रार्थना पत्र 18ख न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 18ख स्वीकार किया जाता है। मजरूवा श्रीमती राजीना बेगम पत्नी आसिक निवासी मो0 ग्यासपुर थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत को साक्ष्य हेतु सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 14.10.2019 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर, पीलीभीत।